भारत सरकार
इस्पात मंत्रालय

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 484
03 फरवरी, 2026 को उत्तर के लिए

धर्मापुरी में स्टील आधारित एमएसएमई संकुलों का संवर्धन

484. श्री अ. मनिः

क्या **इस्पात** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का धर्मापुरी जैसे जिलों में स्थानीय रोज़गार उत्पन्न करने के लिए डाउनस्ट्रीम स्टील-आधारित एमएसएमई संकुलों का संवर्धन किए जाने का विचार है, यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या जिले में फैब्रिकेशन, ऑटो कंपोनेंट्स या निर्माण सामग्री इकाइयों के लिए कोई केंद्रीय योजना सहायता दी गई है, यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सस्ते स्टील की आपूर्ति की कमी छोटी विनिर्माण इकाइयों को प्रभावित कर रही है, यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) एमएसएमई स्टील उपयोगकर्ताओं के लिए प्रस्तावित अवसंरचना सहायता क्या है; और

(ङ) पिछड़े क्षेत्रों में औद्योगिक नीति को रोज़गार सृजन से जोड़ने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

इस्पात राज्य मंत्री (श्री भूपतिराजु श्रीनिवास वर्मा)

(क) से (ङ): इस्पात एक नियंत्रणमुक्त क्षेत्र है और सरकार सामान्य रूप से एमएसएमई और इस्पात क्षेत्र के लिए, तमिलनाडु के धर्मापुरी ज़िले सहित देश में अनुकूल नीतिगत वातावरण बनाकर एक सुविधाप्रदाता के रूप में कार्य करती है। कीमतें बाज़ार द्वारा निर्धारित होती हैं। कंपनियों की स्थापना, निवेश, क्षमता विस्तार, आधुनिकीकरण, रोज़गार, निर्यात आदि जैसे निर्णय बाज़ार की परिस्थितियों और अलग-अलग कंपनियों के प्रौद्यो-वाणिज्यिक विश्लेषण पर निर्भर करते हैं। क्रूड स्टील के उत्पादन में पिछले वर्ष की तुलना में दिसंबर 2025 तक, 11% से अधिक की वृद्धि देखी गई है।

सरकार ने एमएसएमई इस्पात उपयोगकर्ताओं के संवर्धन और विकास के लिए विभिन्न कदम उठाए हैं। इनमें से कुछ का विवरण नीचे दिया गया है:

i. सूक्ष्म और लघु उद्यम — क्लस्टर विकास कार्यक्रम (एमएसई-सीडीपी) योजना का कार्यान्वयन, मौजूदा क्लस्टरों में सामान्य सुविधा केंद्रों (सीएफसी) की स्थापना करने तथा नए/मौजूदा औद्योगिक संपदाओं/क्षेत्रों/फ्लैटेड फैक्ट्री परिसरों में अवसंरचनात्मक सुविधाओं की स्थापना/उन्नयन हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करना।

जारी.....2/

ii. व्यापार करने में सुगमता के लिए एमएसएमई हेतु उद्यम पंजीकरण का शुभारंभ।

iii. प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी) के अंतर्गत अधिकतम परियोजना लागत में वृद्धि।

iv. संशोधित ऋण गारंटी योजना का शुभारंभ।

v. आत्मनिर्भर भारत (एसआरआई) निधि की स्थापना।

******